संख्या-93/2016/2650/33-3-2016-100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 नवम्बर, 2016

विषय:- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत चयनित जनपद-गोण्डा के नवीन ग्रामों में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/4386/2016-5/129/2016, दिनांक 21.11.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत जनपद-बदायूं में रू. 59.888 (रू. साठ लाख में से 0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है तथा जनपद- गोण्डा से रू. 80.00 लाख की धनराशि आवंटित करने की मांग की गयी है। उक्त जनपद-बदायूं से प्राप्त धनराशि को पुनर्आवंटित किए जाने का प्रस्ताव निदेशक,पंचायतीराज द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत जनपद- बदायूं में रू. 59.888 (रू. साठ लाख में से 0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की हो रही बचत को जनपद- गोण्डा में रू. 59.888 लाख (रू. साठ लाख में से 0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) पुर्नआवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उक्त पुर्नआवंटन की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि उक्त धनराशि वर्ष 2016-17 के लिए पूर्व में जारी शासनादेश से आवंटित थी। इस धनराशि की द्वितीय पुनरावृत्ति की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह

shasanadesh.up.nic.in

भी पुष्टि कर ली जायेगी कि उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015-16 की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा एवं बदांयू।
5.. मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, गोण्डा एवं बदांयू।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in